

परिशिष्ट-क

(विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5874 द्वारा मा.श्री दिलीप सिंह शेखावत)

अ. क्र	वर्ष	कारखाने का नाम	दुर्घटना का प्रकार एवं दिनांक	मृत/घायल श्रमिक का नाम	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	प्रबंधक द्वारा प्रदाय की गई क्षतिपूर्ति राशि	रिमार्क
1	2016	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि. केमिकल डिवीजन बिरलाग्राम, नागदा	प्राणांतक दुर्घटना दिनांक 17.11.2016	श्रमिक श्री हरिओम पिता श्री रामलाल की कारखाने के यू. पी.एस.रूम में अग्नि दुर्घटना के दौरान प्राणांतक दुर्घटना हुई ।	कार्यालय द्वारा कारखाना अधिमोगी एवं प्रबंधक के विरुद्ध कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 38 7ए-2ए एवं म.प्र. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 73.72, 73-ई में अभियोजन की कार्यवाही की गई है ।	मृतक श्रमिक ई.एस.आई.में पंजीकृत है (ESIC No-10920374) मृतक के आश्रितों को प्रबंधन द्वारा कुल राशि रुपये 16,78,245/- लाख (एग्रीमेंट एवं बीमा योजना के तहत)एवं एक आश्रित को स्थाई नौकरी दी गई ।	8 प्रकरण मा.सी.जे.एम न्यायालय उज्जैन दिनांक 7.2.2017 को दर्ज किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है ।

*Devi*  
संचालक,

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

*Devi*  
राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, इन्दौर  
संचालक